न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र लोढ़ा

तारीख रज्जू– 04/09/19

अपील संख्या 31/19

[illegible] उर्मिला पत्नि हनुमान उम्र 52 जाति काछी निवासी काछीपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा। –अपीलार्थी

बनाम

[illegible] सरकार जरिये नायब तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा । –रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 26.9.19.

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार चौथ [illegible] निस्तारण संख्या 436/15 में पारित निर्णय दिनांक 16/10/15 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा [illegible] काछीपुरा के आराजी ख0नं0 1198 रकबा 0.56 है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर [illegible] मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने [illegible] किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन [illegible] न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की [illegible]

[illegible] अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत [illegible] निस्तारण होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि [illegible] पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, [illegible] सुनवाई का अवसर दिया है और न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मौके का निरीक्षण किया [illegible] अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट [illegible] होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न [illegible] आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण होना साबित होता है। अपीलान्ट का उक्त वाद [illegible] साथ ही अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को जारी नोटिस में भी अपीलान्ट के [illegible] अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

[illegible] बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि [illegible] सुनवाई का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का [illegible] अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व [illegible]

[illegible] पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष [illegible] पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर [illegible] सुनवाई हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया जिस पर [illegible] होने के प्रश्न है तो इस संबंध में पूर्व में किये [illegible] पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर [illegible] नहीं होता है। सिविल कारावास की सजा [illegible] अभिलेख के अभाव में पारित किया गया [illegible]

[illegible] स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत [illegible] निरस्त किया जाता है एवं शेष आदेश शास्ति व बेदखली [illegible]

[illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर